उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806

Web-www.uppbpb.gov.in

सूचना/विज्ञप्ति

रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस विभागीय परीक्षा–2011 रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में असफल तथा अचयनित अभ्यर्थियों के अंकों का प्रकाशन

संख्याः पीआरपीबी–अनु0–6–प–1/2015 दिनांकः मई 17 ,2019

रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की भर्ती/चयन वर्ष 1999 से 2008 तक की 5389 रिक्तियों हेतु विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन के लिये पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 5389 रिक्तियों का अधियाचन इस बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था। उक्त अधियाचन के क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 12–06–2010 को समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2– तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 (यथा संशोधित) में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, सेवाभिलेखों का मूल्यांकन एवं समूह परिसंवाद के चरण निर्धारित थे। संगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 13–03–2011 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी। लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के द्वितीय व तृतीय प्रश्नपत्र के कुल 18 प्रश्न निरस्त करते हुये, बोर्ड द्वारा रिट याचिका संख्या–2669/2009 (एम0बी0) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार 18 त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को निरस्त कर सभी अभ्यर्थियों को अंक दिये जाने की कार्यवाही की गयी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया गया तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन एवं समूह परिसंवाद की प्रक्रिया के पश्चात रिट याचिका संख्या–3918/2011 आरक्षी विमल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2012 के अनुपालन में चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची दिनांक 16–08–2012 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित की गयी।

3– उक्त प्रोन्नति द्वारा चयन में असफल अभ्यर्थियों द्वारा सिविल अपील संख्या–6547/2014 (स्पेशल लीव पिटीशन (सी) संख्या–2702/2014), अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की गयी। इसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18–07–2014 को आदेश पारित करते हुये निम्नांकित व्यवस्था के अनुसार 18 निरस्त प्रश्नों के अंक अभ्यर्थियों को प्रदान करने के आदेश दिये गये। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18–07–2014 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है :–

"**---- Having heard learned counsel for the parties, we are of the convinced opinion, the controversy should be put to rest from all spectrums and accordingly we issue the following directions :-**

(a) **The posts that have been filled up by successful candidates, as has been apprised to us at Bar, are 3358 and the candidates who have joined in the said posts and presently working shall not be disturbed.**

(b) **The U.P. Police Recruitment & Promotion Board, Lucknow shall scrutinize the papers of all the candidates, namely, the persons who had approached the writ court and the candidates who had not approached the writ court and if they have attempted and answered the 18 questions, which were wrongly set out, they will be awarded full marks for said 18 questions.**

(c) **If a candidate has not answered any erroneous question, the same shall be proportionately reduced. To clarify, the candidates shall only get full marks for the questions answered.**

(d) A fresh select list shall be drawn up taking into account the aforesaid marks in respect of 2031 posts which are available in presenti pertaining to the year 2008.

(e) The aforesaid exercise shall completed within a period of three months hence and the successful candidates shall be duly intimated and subsequent action shall be taken by the State

By virtue of our order, any matter pending in the Writ Court or before the Division Bench shall be deemed to have been disposed of.

The appeal stands disposed of on the above terms. There shall be no order as to costs."

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित मेरिट लिस्ट में सम्मिलित अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों को 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करते हुये अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 3521 अभ्यर्थियों के समूह परिसंवाद एवं सेवाभिलेखों के मूल्यांकन की प्रकिया सम्पादित करायी गयी। इन 3521 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गयी, जिसमें 2033 अभ्यर्थी चयनित हुए। बोर्ड द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से शारीरिक दक्षता परीक्षा, समूह परिसंवाद एवं सेवाभिलेखों के मूल्यांकन की प्रकिया में सम्मिलित समस्त 3521 अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित किये गये।

5– कतिपय असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं योजित की जा रही हैं, जिनमें रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–41 व 42/2019, जितेन्द्र कुमार व 84 अन्य, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–41 व 42/2019, शिवेन्द्र पाल सिंह व 130 अन्य, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–1369/2018, अरविन्द कुमार त्रिपाठी व 23 अन्य तथा स्पेशल अपील संख्या–1488/2018, सत्यवीर सिंह व 251 अन्य के याचीगण भी सम्मिलित हैं, जिसमें उनके द्वारा 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने व यदि उनके अंक (मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रघुराज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में 30.01.2017 में पारित आदेश) 190.1667 तथा 223.3333 के मध्य हों तो उन्हें भी चयनित करते हुये प्रोन्नति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है। यह सुसंगत है कि उपरोक्त चारों याचिकाओं में सम्मिलित याचीगणों को 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान किये गये थे परन्तु 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने पश्चात भी सभी याचीगण लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुए तथा लिखित परीक्षा में सफल न होने के कारण चयन के अगले चरणों हेतु अर्ह नहीं पाए गए। जबकि रिट याचिका (सिविल) संख्या–45/2016, रघुराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के याची एवं नये जुड़े याचीगण रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस विभागीय परीक्षा–2011 में 18 निरस्त प्रश्नों के अंक प्रदान करने के फलस्वरूप चारो विषयों में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चयन के अगले चरणों में प्रतिभाग करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–01–2017 के क्रम में चयनित हुए थे।

6– याचीगण द्वारा विभिन्न न्यायालय में रिट याचिकायें योजित की गयी। इन याचिकाओं के मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण तत्समय अभ्यर्थियों के अंकों का प्रकाशन नहीं किया गया था परन्तु कतिपय अभ्यर्थियों को उनके अंकों की सूचना प्रकाशित न होने के कारण लगातार मा0 न्यायालयों में याचिकायें योजित की जा रही हैं। इसके दृष्टिगत बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के अंकों को दिनांक 17–05–2019 से 15–06–2019 तक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपने अंक ज्ञात कर सकते हैं।

7– यद्यपि अंकों के प्रकाशन में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। अभ्यर्थी को प्रदर्शित किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों सहित अपना प्रत्यावेदन अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस बोर्ड को भेज सकते हैं। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन का परीशलोनपरान्त अपेक्षित उत्तर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी का इस सम्बन्ध में बोर्ड में उपस्थित होना निषिद्ध होगा।

17.5.19

अनु सचिव (प्रोन्नति),
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।